न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 73/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. भीमराज पुत्र मिश्रीलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम सतलाना, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. चम्पालाल पुत्र श्री मिश्रीलाल, जाति न निवासी बड़ी उन्दरी, तहसील उदयपुर। 02. अशोक कुमार पुत्र श्री अचलाराम, जा प्रजापत, निवासी ग्राम सालावास, तहसी लूणी, जिला जोधपुर । 03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलद लूणी ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति –

1. **प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री भंवरलाल चौधरी ।**
2. **अप्रार्थी संख्या दो की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।**

सहायक कलेक्टर लूणी

आदेश

दिनांक :– 5.2.2020

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम सतलाना की सरहद में भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 49 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं यह भूमि पक्षकारों की पैत्रक कृषि भूमि हैं तथा यह भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि हैं तथा इसका विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं । प्रार्थी के कथनानुसार लाबुजी के तीन पुत्र थे लेकिन उनके देहान्त के बाद उत्तराधिकरियों में केवल दो पुत्रों हंसराज एवं मिश्रीलाल का ही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया एवं हंसराज के देहान्त के बाद उसके चार पुत्रों अप्रार्थी संख्या एक से चार तथा दो पुत्रियों सुन्दर देवी एवं रामुदेवी का नाम दर्ज किया गया । सुन्दर देवी एवं रामुदेवी ने अपना हिस्सा अपने भाईयों अप्रार्थी संख्या एक से चार के पक्ष में तर्क कर दिया इस प्रकार से हंसराज के हिस्से के हकदार अप्रार्थी संख्या एक से चार हो गये। लाबुजी के पुत्र बद्रीनारायण का जरिये उत्तराधिकारी लाबुजी की भूमि में 1/3 हिस्सा था लेकिन उसका राजस्व रेकर्ड में नाम नहीं होने से उसने अपना हिस्सा दिलाने के लिये दिनांक 22.09.2004 को सैन समाज की तनावड़ा पटटी एवं गांव फिंच, सतलाना, गोलिया मगरा के सैन समाज के मुखियों को इकठा किया । सैन समाज के मुखियाओं ने अप्रार्थी संख्या एक से चार तथा प्रार्थी के पिता मिश्रीलाल को बद्रीनारायण को उसका

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

1/3 हिस्सा देने के लिये समझाईश की जिस पर हम सब भाईयों ने समाज के मुखियों के सामने बद्रीनारायण को उसके हिस्से की 5 बीघा भूमि देना स्वीकार किया एवं जिसकी लिखत की गयी जिस पर सभी भाईयों एवं मुखीयाओं ने अपने हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान किये । उन मुखीयाओं के सामने मालाराम को बद्रीनारायण का गोद पुत्र होना भी स्वीकार किया । प्रार्थी के भाई चम्पालाल चार पांच साल की उम्र में अपने ननिहाल ग्राम धींगाणा तहसील रोहट, जिला पाली में रहने लग गया था । वहां पर हत्या के मामले में गिरफतार हो गया तथा पाली सेशन न्यायालय द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा हो गयी । इस कारण उसने जोधपुर जैल में अपनी सजा काटी । जेल में रहने के दौरान उसको सजा भुगतने के बाद जेल से बाहर आने पर पुनर्वास के लिये जेल में वन विभाग उदयपुर में सर्विस लग गयी जिसके आधार पर वह जेल से छुटने के बाद बड़ी उन्दरी तहसील उदयपुर गांव में बस गया तथा अपना जीवन यापन करने लग गया । इस प्रकार चम्पालाल चार पांच वर्ष की उम्र के बाद न तो कभी गांव आया तथा न ही उसे भूमि खसरा संख्या 49 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा के किसी भी भाग पर कभी काश्त की । जेल से छुटने के 30 साल से अधिक अवधि तक उसने अपने हिस्से की भूमि की सार सम्भाल एवं काश्त की व्यवस्था नहीं करने के कारण उसका इस भूमि पर से सारे हक अधिकार समाप्त हो गये । प्रार्थी के भाई भेराराम एवं बहिन लीला ने अपने हिस्से जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 08.05.2013 को नामान्तरकरण संख्या 2026 स्वीकृत किया जाकर उनका हिस्सा प्रार्थी के नाम से दर्ज कर दिया गया । सैन समाज के मुखियाओं के निर्णय के अनुसार बद्रीनारायण को उसके हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के लिये प्रार्थी ने अपने हिस्से में से 5 बीघा भूमि बद्रीनारायण के कहे अनुसार उसके गोदपुत्र मालाराम की पत्नि लीलादेवी के पक्ष में बेचान की रजिस्ट्री करवा दी जिसके आधार पर दिनांक 20.10.2014 को नामान्तरकरण संख्या 2110 स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 49 की रकबा 05 बीघा भूमि लीलादेवी के नाम से दर्ज कर दी गयी । इसी प्रकार प्रार्थी ने 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि का अपने भाई भेराराम के पक्ष में बख्शीशनामा रजिस्ट्रर्ड करवा दिया जिसके आधार पर दिनांक 20.10.2014 को ही नामान्तरकरण संख्या 2114 स्वीकार किया जाकर 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि भेराराम के नाम से दर्ज कर दी गयी । प्रार्थी ने यह अफवाह सुनी की उसका भाई चम्पालाल राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का नाजायज लाभ उठाकर लोगों के बहकावें में आकर भूमि बेचान करने की कोशिश कर रहा है तो प्रार्थी ने दिनांक 17.10.2015 को तहसीलदार लूणी के समक्ष अविभाजित भूमि का बेचान करने पर रोक लगाने तथा नामान्तरकरण नहीं भरने के लिये पटवारी हल्का को आदेश देने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थी को बचेान की जानकारी हुई तो उसने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अर्न्तगत स्थाई निषेधाज्ञा के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

लिये वाद पेश किया जो राजस्व वाद संख्या 108/2015 भीमराज बनाम कानाराम वगैरा दिनांक 23.10.2015 को दर्ज हुआ । दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2015 को विवादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण नहीं करने तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखने का स्थगन आदेश दिया गया । विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं तथा जमाबन्दी में किसी भी सहखातेदार का हिस्सा दर्ज नहीं हैं फिर भी सहखातेदारों द्वारा बिना बंटवाड़ा के ही अपने हिस्से में से रकबा विशेष का बेचान बख्शीश करने पर 01 बीघा 02 बिस्वा भेराराम व 5 बीघा लीलादेवी की खातेदारी में दर्ज कर दी । इस कारण मौके पर विवाद हो रहा हैं। अतः प्रार्थी को घोषणा एवं बंटवाड़ा के लिये दावा पेश करना पड़ा रहा हैं । विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं एवं इसका विधिवित् बंटवाड़ा नहीं हुआ है। फिर भी पक्षकार काश्त अलग अलग करते हैं तथा अपने अपने हिस्से में रहवासी मकान बना रखे हैं । खसरा संख्या 48 रकबा 09 बिस्वा में पुरानी ढ़ाणी हैं जिसमें भगाराम, मालाराम, कानाराम, एवं प्रार्थी भीमराज एवं उसके भाई भेराराम का रहवास था । अभी प्रार्थी भीमराज ने अपने हिस्से की भूमि मे रहवासी ढ़ालीया अप्रार्थी मालाराम ने अपने हिस्से में रहवासी मकान, प्रभुराम ने अपने हिस्से में रहवासी मकान तथा कानाराम ने अपने हिस्से की भूमि में रहवासी मकान बना रखा हैं । पक्षकारों का मोके पर कब्जें का नजरी नक्शा दावें के साथ पेश किया जा रहा हैं । राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी के पिता मिश्रीलाल का विवादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा होने से उनके बंट में 19 बीघा 08 बिस्वा भूमि आती हैं । 19 बीघा 8 बिस्वा में से बद्रीनारायण के हिस्से की 5 बीघा भमि की उसके गोदपुत्र मालाराम की पत्नि लीलादेवी के नाम से रजिस्ट्री कराकर दे दी तथा बकाया 14 बीघा 08 बिस्वा में मिश्रीलाल जी के उत्तराधिकारी तीन पुत्र एवं एक पुत्री के प्रत्येक के बंट में 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि आती हैं । प्रार्थी की बहिन लीला एवं भाई भेराराम ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर दिया जिसके अनुसार प्रार्थी के बंट में 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि आती हैं तथा प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से में से 1 बीघा 2 बिस्वा का बेचान अपने भाई भेराराम के पक्ष में कर देने के बाद उसके बंट में 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि आती हैं क्योंकि प्रार्थी का भाई चम्पालाल हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा हो जाने से जेल में था तथा जेल से रिहा होने के बाद वह ग्राम उन्दरी उदयपुर में ही रहने लग गया था । उसका अपने पिता की भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा । राजस्व रेकर्ड में उत्तराधिकारी होने के कारण उसका नाम लिख दिया गया लेकिन वह पिछले 50 सालों में न तो कभी गांव में रहा तथा न ही इस भूमि पर काश्त की । मिश्रीलाल के हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी एवं उसके भाई भेराराम का ही हैं । जिसके अनुसार वादी 11 बीघा 10 बिस्वा एवं वादी का भाई भेराराम 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर काबिज हैं एवं उसी अनुसार भूमि अपने बंट में

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रथम तो प्रार्थी के भाई चम्पालाल का विवादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 सालों से अधिक समय से कब्जा काश्त नहीं होने से उसे इस भूमि में से कोई हिस्सा किसी को बेचान करने का अधिकार नहीं था उसने अपनी गलत शकूनत लिख कर बिना कब्जे के अप्रार्थी अशोक कुमार के पक्ष में दिनांक 15.10.2015 को किया गया बेचान अवैध होने से प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्ध बेअसर हैं इसी प्रकार बेचान रजिस्ट्री में भूमि खसरा संख्या 48 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा संख्या 49 रकबा 38 बीघा 16 बिस्वा में 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा बेचान कर कब्जा सौंपना लिखा हैं । खसरा संख्या 48 रकबा 09 बिस्वा गैर मुमकिन ढ़ाणी हैं जिसमें पुराने समय से ही प्रार्थी एवं उसके भाई भेराराम का अप्रार्थी भगाराम, मालाराम, एवं कानाराम का रहवास हैं तथा भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से रकबा विशेष का बेचान भी नहीं किया जा सकता है अतः अप्रार्थी चम्पालाल द्वारा 4 बीघा 17 बिस्वा का किया गया बेचान विधि विरूद्ध होने से शुन्य हैं जिससे खरीददार को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं । प्रथमदृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में हैं तथा काबिज होने से तुलनातमक सुविधा भी प्रार्थी के हक में हैं । अजनबी खरीददार को संयुक्त परिवार की संयुक्त खातेदारी भूमि में से गैर कानूनी तौर से तथा बिना कब्जे के हिस्सा खरीदने वाले को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय हानि होगी । एवं अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या एक की बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी संख्या दो की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

पत्रावली में बहस सुनी गयी अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया तथा इसके विरोध में अप्रार्थी ने अपने जवाब अनुसार खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । चूंकी जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि खसरा संख्या 48 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा संख्या 49 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा जो कि ग्राम सतलाना तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरें हैं । जमाबन्दी अनुसार उक्त खसरें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व अन्य की सहखातेदारी की खसरें हैं । कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि का तो बेचान कर सकता हैं लेकिन किसी भी विशेष भू–भाग यानि पड़ौस दर्शाकर बेचान

सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

इत्यादि नही कर सकता हैं साथ ही कोई भी सहखातेदार एक दूसरे सहखातेदार के हिस्से की भूमि में दखल अंदाजी नहीं कर सकता हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थांन काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी के हक हिस्से तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त उत्तरान की भूमि का कोई भी सहखातेदार पडोस दर्शाकर बेचान नहीं करें तथा उभयपक्ष एक दूसरें के हिस्से में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.03.02 17:34:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: